

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 31/2025

ऑनलाईन नम्बर 2025/58

निर्णय दिनांक: 22.07.2025

1. नवीन पुत्र ओमप्रकाश
2. नीलू पुत्री आमेप्रकाश
3. प्रवीण पुत्र ओमप्रकाश
4. पुष्पादेवी पत्नी स्वर्गीय ओमप्रकाश

जातिगण ब्राह्मण निवासीगण श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—अप्रार्थी—

उपस्थिति:—

1. श्री बजरंग शर्मा अभिभाषक प्रार्थीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का एक खातेदारी खेत खसरा नम्बर 97 क्षेत्रफल 8.3400 हैक्टेयर वाकेरोही दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 97 क्षेत्रफल 8.3400 हैक्टेयर रोही दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के ट्रेस नक्शा में कटाणी मार्ग दर्ज है लेकिन उक्त मार्ग जमाबन्दी में अलग से दर्ज नहीं है। जमाबन्दी व ट्रेस नक्शा में भिन्नता की वजह से प्रार्थीगण को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार ट्रेस नक्शा व जमाबन्दी में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जमाबन्दी में मार्ग का रकबा दर्ज होना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि को दर्ज करने का निवेदन दिनांक 15.06.2024 को निवेदन किया तो अप्रार्थी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर का होने का कहकर सक्षम न्यायालय से आदेश करवाने पर दर्ज किये जाने का कहा। प्रार्थीगण के पास जमाबन्दी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के लिए श्रीमान्जी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। प्रार्थीगण की कृषिभूमि रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में होने से प्रार्थनापत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अन्दरमियाद श्रीमान्जी के समक्ष सादर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खेत खसरा नम्बर 97 क्षेत्रफल 8.3400 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित कटाणी रास्ता को जमाबन्दी में गैरमुमकिन रास्ता की भूमि का अंकन किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस प्रार्थना पत्र



उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 97 क्षेत्रफल 8.3400 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा बास बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में नक्शीट के उत्तर से दक्षिण संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार कटाणी रास्ता जो मौके पर मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुसार 0.10 हैक्टेयर मौके पर चालू रास्ता है को प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबर 97 रकबा 8.3400 हैक्टेयर के स्थान पर रकबा 8.2400 हैक्टेयर व शेष रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अंकन कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार पालना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



(शुभम शर्मा)
उपमुख्य अधिकारी (राशि)
श्रीडूंगरगढ़ (कानेर)